




ELEVATION PLAN




SECTION OF STAIR




GROUND FLOOR PLAN



FIRST FLOOR PLAN



SECOND FLOOR PLAN



THIRD FLOOR PLAN

| S.NO. | AREA DETAILS | SQ. MTRS |
|-------|------------------------------|----------|
| 01 | COVERED AREA ON GROUND FLOOR | 707.52 |
| 02 | COVERED AREA ON FIRST FLOOR | 707.52 |
| 03 | COVERED AREA ON SECOND FLOOR | 707.52 |
| 04 | COVERED AREA ON THIRD FLOOR | 707.52 |

Handwritten signature and stamp.



Handwritten signature and date.

CONSTRUCTED BUILDING MAP OF SHAMBHUNATH INSTITUTE OF MANAGEMENT (CHAK-DADAN PUR) JHAJWA, ALLAHABAD
 OWNER:- UTTAM CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| <i>Handwritten signature</i> | <i>Handwritten signature</i> |
| SIG. OF OWNER | CHECKED BY |

S.T.P. for smoo

Shambhunath Institute of Management,
Jhalwa, Allahabad

Registry, Land use & Map

2012-13

Shambhunath Institute of Management, Jhalwa,
Allahabad

| S. No. | Document No. | Date of Registration | Plot No | Address (Village) Dist. | Area in acres |
|---------------|---------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | 25.2.2002 | 8 | DADANPUR, ALLAHABAD | 0.5634 |
| 2 | 2 | 25.2.2002 | 9 | DADANPUR, ALLAHABAD | 0.4373 |
| | | | | TOTAL | 1.0007 |

आदेश दिनांक - 07/08/10

319215

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद ।

वाद संख्या 25 सन 2010 अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र०अ०वि०अधिनियम

ग्राम चक दादनपुर परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ।

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेंट प्रति उ०प्र०राज्य
एण्ड पावर्टी एलीविशान द्वारा सचिव
कोशल कुमार

निर्णय
=====

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी एलीविशान द्वारा सचिव कोशल कुमार तिवारी, 18ए आकलैण्ड रोड इलाहाबाद ने ग्राम चक दादनपुर परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की आ०सं० 8 रकवा 0.2280हे०, आ०सं० 9 रकवा 0.3650हे०, आ०सं० 10 रकवा 0.2170हे० व आ०सं० 11 रकवा 0.3990हे० कुल 4 गाटा रकवा 1.2090हे० को अकृषक/शिक्षण संस्था, तकनीकी, चिकित्सीय एवं नाध्ययिक एवं उच्च शिक्षण घोषित करने हेतु यह वाद दायर किया है ।

इस पर तहसील से आख्या प्राप्त की गई । नायब तहसीलदार दक्षिणी तहसील सदर की आख्या दिनांक 6-8-10 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे तहसीलदार सदर ने अग्रसारित किया है ।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीपक्ष को सुना । नायब तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या दिनांक 6-8-2010 में अंकित किया गया है कि प्रश्न-गत भूमियों पर उत्थान संस्था की शिक्षण संस्थान का भवन व मैदान व कुछ भाग खुली भूमि के रूप में है । सम्पूर्ण भूमि बाउन्ड्रीवाल में घिरी अकृषिक उपयोग में है । इससे स्पष्ट है कि भूमि अकृषिक प्रयोग में लायी जा रही है । इस कारण इन्हीं अकृषिक भूमि घोषित करने में कोई विधिक अड़वन नहीं है ।

आदेश
=====

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चक दादनपुर परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की भूमि संख्या 8 रकवा 0.2280हे० आ०सं० 9 रकवा 0.3650, आ०सं० 10 रकवा 0.2170हे० व आ०सं० 11 रकवा 0.3990हे० कुल चार गाटा रकवा 1.2090हे० को अकृषिक घोषित किया जाता है । तदनुसार परवाना जमल दरामद जारी हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो । इसकी एक प्रति उप निर्बंधक सदर इलाहाबाद को भी भेजी जाए

सचिव कोशल कुमार
7/8/10
बहुमनव

डी०एन०राज्य
उप जिलाधिकारी सदर
इलाहाबाद ।

05
13.10

सचिव उप निर्बंधक
सदर, इलाहाबाद

255

- 1. पञ्चाङ्ग संख्या 07/8/10
- 2. दिनांक 07/8/10
- 3. स्थान 07/8/10
- 4. टिकट का मूल्य 13.00
- 5. नाम कमलेश 3008207

४९
 07/8/10

पञ्चाङ्ग संख्या 07/8/10
 पञ्चाङ्ग-3008207

9432

Anex-3



UIDD 413672

On 21/01/2014
 कमलेश प्रसाद

Handwritten signature
 Architect

विक्रय पत्र

रवि सहकारी आवास एवं निर्माण समिति 63 ए. मुठ्ठीगंज इलाहाबाद रजिस्टर्ड नं० 570 जर्नेय सॉल्ट
 कमलेश प्रसाद पुत्र श्री जगतनारायण निवासी 63 ए. मुठ्ठीगंज इलाहाबाद के है।

रवि सहकारी आवास एवं निर्माण समिति भूमिधारी आराजियात निम्नलिखित आराजि नं० 5 (नं०
 रकबा 0.135 हे० जीरो दशमलव एक तीन पांच हेक्टर व आराजी नं० 6 (छः) रकबा 0.279 हे० जे
 दशमलव सा सात जी हेक्टर कुल 2 गाटा रकबा 0.414 हे०, जीरो दशमलव चार एक चार हेक्टर व
 भोजा शाहा उर्फ पीपल गांव परगना व तहसील सदर जिले इलाहाबाद व आराजी नं० 150 (एक
 सौ पचास) रकबा 0.911 हे० जीरो दशमलव आठ एक एक हेक्टर व आराजी नं० 151 (एक सौ पचास)

On 21/01/2014
 कमलेश प्रसाद

कोषागार इलाहाबाद

17/10/2007
 कोषागार इलाहाबाद
 10-11-2007

3500000/-
 2250000/-

कोषागार इलाहाबाद

नि. मुक्त उजरा / मुक्त योद्धा सम्मेलन
 श्री. रवि शंकर झा निवासी खनिगीप
 पत्नी (पुत्र) श्री. पति शंकर झा निवासी खनिगीप
 निवासी 63/2, गुरुजी गज, इलाहाबाद
 ने कार्यालय उप निदेशक कोषागार इलाहाबाद
 आगत दिनांक 12/10/07 को प्रस्तुत किया।

कोषागार इलाहाबाद

उप-निदेशक कोषागार इलाहाबाद

24-10-07


कोषागार इलाहाबाद
 प्रमुख कोषागार इलाहाबाद
 कोषागार इलाहाबाद
 कोषागार इलाहाबाद

श्री. रवि शंकर झा निवासी
 पुत्र श्री. पति शंकर झा निवासी
 निवासी 63/2, गुरुजी गज, इलाहाबाद
 तथा श्री. पति शंकर झा निवासी
 पुत्र श्री. पति शंकर झा निवासी
 निवासी 63/2, गुरुजी गज, इलाहाबाद
 विज्ञा इलाहाबाद ने की।

कोषागार इलाहाबाद

कोषागार इलाहाबाद

24-10-07
 कोषागार इलाहाबाद



कोषागार इलाहाबाद
 उप-निदेशक कोषागार इलाहाबाद




0100 113671

2

रकबा 0.728 हे० जीरो दशमलव सात दो आठ हे० व आराजी नं० 155 (एक सौ पचपन)रकबा 0.828 हे० जीरो दशमलव आठ दो आठ हे० कुल 3 तीन गाटा रकबा 2.367 हे० दो दशमलव तीन छः सात हे० बाके मौजा दादनपुर परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद व आराजी न० 8 (आठ) रकबा 0.228 हे० जीरो दशमलव दो दो आठ हेक्टेयर व आराजी नं० 9 (नौ) रकबा 0.365 हे० जोरां दशमलव तीन छः पांच हे० व आराजी न० 10 (दस) रकबा 0.217 हे० जीरो दशमलव दो एक सात हे० व आराजी नं० 11 (ग्यारह) रकबा 0.399 हे० जीरो दशमलव तीन नौ नौ हे० कुल 4 चार गाटा बाके मौजा चक दादनपुर परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की मालिक काविज व भूमिधर हैं। उक्त आराजियात भट्टे की खुदी हुई भूमि है जिस वजह से इसमें 10, 15 फिट गहरे गडढे हैं जिसमें 2 पक्के कुएं व बोरिंग नौजूद

कावेज लखी



01DD-113670

हैं। समिति ने उक्त आराजियातों को अपने सदस्यों के लिए खरीदा था लेकिन समिति के सदस्यों ने सडक से दस पन्द्रह फिट गडढे वाली भूमि को लेने से मना कर दिया इस कारण समिति ने निर्णय लिया कि उक्त आराजियातो को बेच दिया जाय। इस पर उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावटी एलीविएशन 18-ए आकलैण्ड रोड इलाहाबाद जरिये सचिव कौशल कुमार पुत्र स्वर्गीय शम्भू नाथ निवारणी 102 जी/3 बेनीगंज इलाहाबाद रूपये 20,000/- बीस हजार प्रति बीघा की दर से खरीदने को तयार हुए जो कि एक मुनासिब एवं उचित दाम है तथा इससे अधिक दाम दूसरा कोई देने को तयार नहीं है दिहाजा समिति के कार्यकारिणी ने अपनी उक्त सम्पूर्ण आराजियातों की जिनका विवरण नीचे दिया गया है को उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावटी एलीविएशन 18 ए आकलैण्ड रोड


21/12/2016

सचिव

सदस्य

सदस्य

सदस्य




133 116

इलाहाबाद जरिये सचिव केशव कुमार पुत्र स्वामीय शम्भू भाषा जेकरा के नाम से 20,000/- का एक बैंक नोट
इलाहाबाद को रूपया 20,000/- की दर प्रत्येक प्रति बीघा की दर से देवने को लिये जा गया

अतः मेरे बतौर सचिव सहकारी जेकरा एव निर्माण समिति का हस्तगत में इलाहाबाद का एक मुक्त जमीन
के हित में जमीन खरीदन व देवने रजिस्ट्री करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है अपने लक्ष्य व सुखी से बिना
किसी के उराय व धमकाने व कहकाने अपने अग्न हीरा हवाला में भूमिदाता जेकरा की वरतन का नाम है
विस्था 14 धूर जिसमे दो पक्के कुएँ व बोरिंग की है को 20,000/- की दर प्रत्येक प्रति बीघा की दर से
कुल मूल्य 3,50,000/- तीन लाख पचास हजार रूपया जिसका आधा एव जमीन के देवने के हिसाब से
175000/- इला है।

केशव कुमार



0100 413664

वदस्त व वहक उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट एण्ड प्राक्टो एलीविएशन 16- ए आकलैण्ड रोड इलाहाबाद जरिये सचिव कौशल कुमार पुत्र रवर्गीय शम्भू नाथ निवासी 102 जी/3 देवीगंज इलाहाबाद के हक मे बेंच दिया व मग कामिा कर दिया और कुल जर समन खरीददार से पहले ही प्राप्त कर लिया था अब कुछ पाना शेष नही रहा मैने (समिति) ने अपना कब्जा व दखल जायदाद बिकी हुई से उठा लिया और खरीददार का कब्जा व दखल जायदाद बिकी हुई पर करा दिया। खरीददार जायदाद बिकी हुई के पूर्ण रूप से स्वामी तथा अधिकारी हो गये खरीददार को अधिकार है कि बिकी हुई भूमि को जिस तरह से चाहे अपने उपयोग व उपभोग मे जाये तथा जिस तरह से चाहे हस्तान्तरित करे और अपना

अभिप्रेत है -
करिये प्रशस्त

गइने माने
सुने माने
मध्य प्रशासन

मध्य प्रशासन
सुने माने
गइने माने

मध्य प्रशासन
सुने माने
गइने माने



011443062

6

नाम दर्ज कागजात सरकारों में करा लेंगे तथा मेरा नाम खारिज करा देना चाहें हक व हिस्सा मेरा व मेरे वारिसान व कायम मुकामान का बिकी हुई भूमि में शेष नहीं रहा। यदि बिकत भूखत मिलजिदल मुक्ति बिकी हुई भूमि का कुल या जुज आम खरीददार व उसके वारिसान व कायम मुकामान के कब्जा व दखल से निकल जावें जिससे कि खरीददार व उसके वारिसान व कायम मुकामान का मुकरान व हानि हो तो खरीददार व उसके वारिसान व कायम मुकामान को हक होगा कि अपना कुल या जुज जोर सम्बन्ध खिसारा व मुकरान मुझसे व मेरे व जायदाद हर किरम से तथा मेरे वारिसान व कायम मुकामान से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेंगे इसमें मुझसे तथा मेरे वारिसान व कायम मुकामान को कोई हानि न होगी।

मेरा नाम
असतोष मुखर्जी



0100 413665

02

7


अतः यह कथनात्मक कर्तव्य है कि उपरोक्त लिखित दिवा कि संभव रहे तथा वक्त पर काम आवे।

सहस्रौज जायदाद जो बेची जा रही है


आराजी भूमिधरी नं० ५ काच रकबा 0.135 हे० व आराजी नं० 6 (छः) रकबा 0.279 हे० कुल 2 (दो) गाटा रकबा 0.414 हे० जीरो दशमत्तव का एक सार हे० बाकें मोंया शाखा उर्फ पीपल गाव परगना व सहस्रौज सदर जिला इलाहाबाद

काच रकबा

काच रकबा



14/11/1958
 14/11/1958
 14/11/1958



0100 113673

8

9

आराजी नं 150 (एक सौ पचास) रकम 0.811 हे० व 151 (एक सौ इक्यावन) रकम 0.726 150 व 153 (एक सौ पचपन) रकम 0.829 मूल 4 तीन भाग रकम 2.367 हे० को दरम्यान तीन रु सत 80 बाके मोजा दादमपुर परगना व तासौल तालुका जिला इलाहाबाद।

10


आराजी नं 0 (आठ) रकम 0.000 हे० व 1 (एक) रकम 0.000 हे० को

व 11 (ग्यारह) रकम 0.399 हेक्टेयर मूल 4 भाग माता सुकुमा 1209 10 एक बाके व 11 (ग्यारह) रकम 0.399

बाके मोजा चक दादमपुर परगना व तासौल तालुका जिला इलाहाबाद।

0100 113673

0100 113673



0100 113674

तीनों कुल 9 (नौ) गाँवों के 3,990 हेक्टेयर 17 बीघा 9 चिस्का 14 घूरे जमीन का मालिकाना हक है। जो कि मजदूरी की दृष्टि से भूमि है। जो कि कृषि कार्य के लिए देसी रवा रही है। इनमें से 5 गाँवों में 8,9,10,11 नंदा अवल अतिथित है। और बाक़ी मालिकाना प्राप्त राहने एवं 5,00,000/- रुपये प्रति एकड़ तथा दादमपुर, चकदादिमपुर 1,80,000/- रुपये प्रति एकड़ को कर कुल मालिकाना 2,25,00,000/- पर जमीन रुपये 2,25,00,000/- रुपये को लागू पचीस हजार का लगाना का

आहारा निवासी कमेटी सदस्य
 18.10.2001 30

Pinner

